

प्रेस नोट

श्रीमान् डी0आई0जी0/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन एवं तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध की चैकिंग हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक दक्षिण महोदय के निर्देशन में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बाबूपुरवा के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.08.2020 को मुझ प्रभारी निरीक्षक जूही संतोष कुमार आर्य मय पुलिस बल उ0नि0 देवनारायण द्विवेदी, उ0नि0 रफत मुर्तजा, उ0नि0 राजकुमार मौर्य व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बसन्तीनगर तिराहे पर मामूर थे कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि मोहल्ला बसन्ती नगर परमपुरवा रेलवे लाइन के पास थाना जूही कानपुर नगर के एक मकान के अन्दर कई वर्षों से एक अन्तर्जपदीय गैंग सक्रिय है। जो छोटे व बड़े टायरो के ऊपर फर्जी नम्बर लगा कर कम्पनी से बीमा का क्लेम लिया करते हैं, जिसमें कई लोग शामिल हैं जिस मकान में यह काम हो रहा है उस मकान में अभी भी रात्रि में 4-5 लोग चोरी छुपे पुराने टायरो की मरम्मत करके उन पर बीमा वाले टायरो का नम्बर लगाकर व टायरो का मेक बदलकर कार्य किया जा रहा है इस सूचना पर मय पुलिस बल के बताये स्थान बसन्ती नगर मकान न0 22-23 बसन्ती नगर परमपुरवा पर आकर एक वारगी दविश देकर मौके से चार अभियुक्तों को मय करीब छोटे बड़े 70 टायर व स्टील पर गुदे हुए बीमा वालों के टायरो के नम्बरों की प्लेटें 33 व पुराने टायरो को रफू करने व बीमा वाले नम्बरों के टायरो में अंकित करने से सम्बन्धित उपकरण आदि बरामद हुए गिरफ्तार शुदा सभी अभियुक्त गणों से उपरोक्त टायरो पर मेक व नम्बर बदलने, बेचने व बीमा का क्लेम बरामद करने के वारे में पूछा गया तो सभी ने एक-एक कर बताया कि हम लोग करीब 6-7 वर्षों से छोटे व बड़े बाहनों के पुराने टायरो को खरीद कर उनको डेन्ट/रफू कर तथा उसपर कुछ माल चढाकर बीमा वाले टायरो व गारन्टी पीरियड वाले टायरो के नम्बर व मेक पुराने टायरो पर अंकित करते हैं तथा तैयार कर विभिन्न कम्पनियों जैसे अपोलो, जे0के0 टायर, MRF, CEAT, KAIZAN, CONTINENTAL, ZED EXTRA, ZED EXTRA PLUS आदि को उपरोक्त कम्पनियों में देते हैं तथा टायरो का क्लेम/बीमा लेते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गणों व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जूही पर मु0अ0स0 368/20 धारा 420/467/468/120बी आईपीसी पंजीकृत किया गया सभी अभियुक्त गणों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है उपरोक्त अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में क्षेत्र की जनता व सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस की भूरि-भुरि प्रशंसा की जा रही है।

1. बरामदगी –

1. पुराने व नम्बर गुदे हुये टायर - कुल 70 अदद
2. स्टील की नम्बर गुदी हुयी प्लेटें- कुल 33 अदद
3. ग्राइन्डर मशीन – 01 अदद
4. गैस सिलेण्डर- 01 अदद
5. ट्रेडमार्क रबर के लोगो- 08 अदद
6. 04 लोहा डाई टायर को दबाने हेतु (किल्म्पू)
7. 01 अदद स्टोव, , 02 पेचकस, 02 कैंची, 03 चाकू, 01 हथौड़ी
8. 01 सिकन्जा, 01 रेती, सड़सी, 01 ड्रिल मशीन
9. 01 रिंच, 08 लोहा चापा, 01 कच्ची रबर (बण्डल)
10. एन्ड्राइड मोबाइल फोन- 04 अदद



मो0 शाबिर



मो0 इरशाद



तनवीर अली



विकास मल्होत्रा उर्फ विककी

2. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मो० शाबिर पुत्र मो० साहिद नि० ग्राम बोयर्था थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता 22-23 जूही बसन्तीनगर परमपुरवा थाना जूही कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष ।
2. विकाश मल्होत्रा उर्फ विककी पुत्र कैलाश चन्द्र मल्होत्रा R/0 2-ब्लाक 12/13 गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर उम्र वर्ष 32
3. मो० इरशाद पुत्र मो० सफी नि० 5H/38 आवास विकास हंशपुरम थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र वर्ष 44
4. तनवीर अली सिद्दीकी पुत्र साबिर अली सिद्दीकी R/0 5E/384 आवास विकास हंशपुरम थाना नौबस्ता कानपुर नगर उम्र वर्ष 37



3. अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 368/20 धारा 420/467/468/120बी आईपीसी

4. गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य
2. उ०नि० देवनारायण द्विवेदी
3. उ०नि० राजकुमार मौर्य
4. उ०नि० रफत मुर्तजा
5. हे०का० 895 राजेश कुमार
6. का० 4314 अतुल यादव
7. का० 1470 सतीशकुमार
8. का० 1798 पुनीत कुमार
9. का० 5243 शुभम तिवारी